एजेंसियां / जिला परिषद दस लाख कुंओं की योजना को सीधे कार्यान्वत करती है, ग्राम पंचायतें भी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी / जिला परिषद द्वारा उनको निर्धारित निधियों से लघु सिंचाई कार्य शुरू करती हैं। तथापि, भौतिक परिसम्पत्तियों, जैसे-जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित लघु सिंचाई कार्यों की केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए ग्रामीण टैंकों और तालाबों तथा दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुंओं की संख्या तथा उन पर हुए खर्च से संबंधित ब्यौरे (राज्यवार) अनुपत्र। पर दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 173, अनुपत्र से 99]

Dilution of the Ceiling Provisions of Land Reforms Act in West Bengal

4837. SHRI JOYANTA ROY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of West Bengal have sought the permission for diluting the ceiling provision of its Land Reforms Act; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) (a) The West Bengal Government have sought to introduce some exemptions to the land ceiling provisions of the Land Reforms Act.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

Employment to Rural Youth

4838. SHRI ISH DUTT YADAV:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have not provided employment so far to those villages who were trained through self employment programme under the Integrated Rural Development Programme;

(b) if so, what are the reasons therfor and what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have also not been able to provide employment to the rural youth; and

(d) what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) to (d) The Scheme— "Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM)" is being implemented throughout the country except Delhi and Chandigarh. It aims at providing technical and entrepreneurship skills to rural youth in the age group of 18-35 years from families below the proverty line to enable them to take up self employment, income-generating activities in the broad fields of agriculture and allied sectors, services and industries. They also take up wage employment. Government does not provide the employment on its own but imparts skills to enable youth to earn livelihood. Large number of rural youth has thus got self or wage employment.

Assistance Provided to Assignees of Ceiling Surplus Land

4839. SHRI KANAKSINH MOHAN-SINH MANGROLA:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any assistance is being provided to the assignees of ceiling surplus land under Centrally Sponsored Scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount allocated to States

under this scheme and work done in the States during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) No, Sir. The Centrally Sponsored Scheme of Financial Assistance to Assignees of Ceiling Surplus Land, which came into operation in the year 1975-76, stands transferred to the State sector with effect from 1991-92 with provision for continuing Central assistance for the financial year 1992-93 as per the decision of the National Development Council taken in its meeting held on 23rd & 24th December, 1991.

(c) In view of (a) & (b) above, the question of continuing the allocation of Central assistance under the aforesaid scheme beyond 1992-93 does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए योजनाएं

4840. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना को देश के 120 जिलों में तेज कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन 120 जिलों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इन योजनाओं के कार्य को तेज कर दिए जाने के बाद उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 31.3.1989 से बन्द कर दिया गया है। भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश के चयनित 120 पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुतायत है में जवाहर रोजगार योजना को गहन बनाने के लिए 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का द्वितीय चरण आरंभ किया गया है। इन जिलों का चयन योजना आयोग के परामर्श से किसी राज्य में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कुल जनसंख्या के प्रति किसी जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक तथा कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन को समान तरजीह के आधार पर किया गया है। जबकि उन जिलों को जिनके अधिकतर खण्ड सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अंतर्गत आते है, इस प्रकार तैयार की गई सूची में शामिल किया गया है, औद्योगिक और वाणिज्य रूप के विकसित जिलों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत निधियों को संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला-परिषदों को पास भेजा जाता है जो इन जिलों के अन्दर बेरोजगारी और अल्प-रोजगार वाले हिस्सों का पता लगाएंगे और इन हिस्सों में कार्यान्वयन हेतु निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत कार्य आरम्भ करेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत योजनाओं में क्षेत्र में स्थायी ग्रामीण रोजगार तथा सूखे के प्रभाव से मुक्त करने वाले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण, लघु-सिंचाई कार्य, मृदा और जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे, बंजर भूमि विकास, फार्म-वानिकी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इनमें विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों आदि में अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों से उपयुक्त अनुपूरक निधियों से प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक बाजारों जैसे ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने की योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। जिले ऊपर निर्दिष्ट योजनाओं से ली गई उपयुक्त योजनाओं वाली एक समग्र कार्य-योजना तैयार करेंगे, जिसका जिलों में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा किया जाएगा। चुने गए 120 पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। **(नीचे देखिये)।**

जवाहर रोजगार योजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सृजित श्रम दिनों की संख्या के रूप में की जाती है। उपलब्ध अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण के आरंभ से लेकर अब तक 2443.52 लाख श्रम दिन सृजित किए गए हैं।